न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 116 / 2017

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 कलेक्टर पुर्नवास (कस्टोडियन) जिला झुंझुनू।
2 तहसील पुर्नवास (कस्टोडियन) तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
3 कलेक्टर जिला झुंझुनू।
4 राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1 खजानी देवी पत्नी घीसाराम।
2 राजेश कुमार पुत्र घीसाराम।
3 विरेन्द्र कुमार पुत्र घीसाराम।
4 सुमन पुत्री घीसाराम समस्त जाति जाट निवासीगण झांझोत तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अपील विरूद्व निर्णय डिक्री दिनांक 24.04.2017
उनवानी मुकदमा खजानी आदि बनाम कलेक्टर
(पुर्नवास) आदि मु0 नं0 130/2016 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी चिडावा

उपस्थित

1. राजकीय अधिवक्ता
2. श्री धर्मवीर अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—30.10.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा वाद संख्या 130/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 ने अपीलांट संख्या 1 से 4 के विरूद्व विचारण न्यायालय में भूमि खसरा नम्बर 102 ग्राम झांझोत गत खसरा नम्बर 315/1/1 के सन्दर्भ में घोषणा का वाद प्रस्तुत किया अपीलांट ने विचारण न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद खारिज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने 3 तनकीयात कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वादीगण के वाद कथन एवं प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से यह भली भांती प्रमाणित है कि विवादित भूमि कस्टोडियन की रही है जिसके सन्दर्भ में घोषणा का क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार विचारण न्यायालय को नही होते हुये भी विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दिया गया है। जो विधि विरूद्व है अपील स्वीकार कर निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि कस्टोडियम नही है विवादित भूमि की 27.07.1976 को सनद जारी हुई है हमने खरीदी है महेश ने विक्रय की है पंजियक विक्रय पत्र खरीदी है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से, वाद पत्र एवं प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 315/1/1 हाल खसरा नम्बर 102 वाके ग्राम झांझोत कस्टोडियन की भूमि होना स्पष्ट जाहिर होता है ऐसी भूमियों के सन्दर्भ में घोषणा का क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार विचारण न्यायालय को

Lano

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नही है विचारण न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विधि विरूद्व रूप से विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है जिसे विधि सम्मत नही माना जा सकता है फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/x/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर